न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—48/18 (2018/00114) वाद पत्र

अनवान

1—उदयलाल आत्मज हरदेव रेबारी नि0 रेबारियोकीढाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीया

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1—फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता वादीया

निर्णय दिनांक 03/03/2020

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 518/4 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 7 पर स्थित थी। प्रमाण में नकल जमाबन्दी 2052 से 2052 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। यह है कि ग्राम खाखरमाला का नवीन भू प्रबन्ध हुआ, जिसमें साबिक आराजी संख्या 518/4 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 11 रकबा 1.00 है0, 12 रकबा 0.29 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.29 है0 कायम किये गये। यह है कि भू प्रबन्ध अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने साबिक आराजी संख्या 518/4 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा के नवीन नम्बर व रकबा तो बराबर कायम किया गया है लेकिन भू प्रबन्ध अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा कायम नही कर गैर कानुनी तरीके से नवीन नक्शे में आकृति में छोटा दर्शित कर दिया है, जिससे नवीन नक्शे के आधार पर मुझ वादी को आराजियात को नापने पर वादी की आराजी का रकबा 1.29 है0 नही बेठता है। जिससे नवीन नक्शे में साबिक नक्शे के अनुरूप इन्द्राज दुरस्ती करवाई जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम खाखरमाला तहसील रायपुर की साबिक आराजी संख्या 518/4 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा के साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन आराजी संख्या 11, 12 कुल किता 2 कुल रकबा 1.29 हैक्टयर के नवीन नक्शे में दुरस्ती कराई जाकर साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में दुरस्ती कराई जावें यानि साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा बनवाया जाकर नक्शे में दुरस्ती कराई जावें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 13/06/2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि हाल

खसरा नम्बर 11, 12 की राजस्व नक्शे के अनुरूप नाप किया तथा नाप के अनुरूप ही मौके पर वादी का कब्जा है तथा आसपास के नम्बरो का भी नक्शे के अनुरूप देखा गया जो राजस्व नक्शे के अनुरूप मौके पर सही है तथा वादी का स्वयं का खसरा नम्बर 11, 12 के पास खसरा नम्बर 57 स्थित है जिसमें कुछ रकबा रेकार्ड के मुकाबले ज्यादा है जो खसरा 57 भी वादी का ही है तथा खसरा नम्बर 11, 12 के अटैच है। वादी ने मौके पर बताया कि मेरा रकबा ग्राम थोरियाखेड़ा की सीमा तरफ कम है परन्तु मौके पर कोई रकबा नपती में नही आता है दोनो ग्रामों की तरफ नपती करने पर बराबर सीमाएं आती है तथा वादी के कब्जे तक राजस्व नक्शे के अनुरूप सीमाएं सही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अधिवक्ता की बहस एवं तहसीलदार रायपुर की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित आराजी का नक्शा राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे अनुसार सही पाया गया है तथा सीमाए बराबर रेकार्ड अनुसार स्थित है तथा वादी के कब्जे तक नक्शे के अनुरूप सीमाए सही दर्शायी गई है जिसके आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

अतः वादी का वाद ग्राम खाखरमाला की आराजी सख्या 11, 12 कुल किता 2 रकबा 1.29 है0 के नवीन नक्शे में दुरस्ती कराने का प्रस्तुत वाद राजस्व रेकार्ड अनुसार नक्शा सही होने से खारीज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा (राज)

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–48/18 (2018/00114) वाद पत्र

अनवान

1–उदयलाल आत्मज हरदेव रेबारी नि0 रेबारियोकीढाणी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीया

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद ग्राम खाखरमाला की आराजी सख्या 11, 12 कुल किता 2 रकबा 1.29 है0 के नवीन नक्शे में दुरस्ती कराने का प्रस्तुत वाद राजस्व रेकार्ड अनुसार नक्शा सही होने से खारीज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda

Date: 2020.03.12 15:40:50 IST

Reason: SelfAttested

Location: